15.10 hrs.

RESERVATION OF POSTS IN CENTRAL GOVERNMENT SERVICES (FOR BACKWARD CLASSES) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri R. P. Yadav on 4th September, 1981, namely:—

> "That the Bill to provide for reservation of posts in Central Government Services for backward classes, be taken into consideration."

Mr. R. P. Yadav was on his legs...

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Sir, on a point of order I raised it in the morning also. There was a commitment made on the floor of the House by the Home Minister that the B P. Mandal Commission Report would be presented to the House. It would have been in the fitness of things—and it was the duty of the Government——if during this Session that Commission's Report had been presented for discussion. It is a Constitutional obligation. This Commission was appointed under article 340 of the Constitution. Now please see article 340 (3) of the Constitution; it reads:

> "The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament."

Now, the Report has been presented to the President. It is with the Government. The Members of this House, from both sides, have been demanding that the Report should be discussed here. The recommendations of the Commission should be made known to the people and the Parliament. It is an important question on which a very substantial section of our society is agitated—that they are going without adequate representation in the government services at all levels. The Central Government has been ignoring this vital question and even after the presentation of the Report and after giving an assurance on the floor of the House, this Government is going back on it. Today is the last day of this Session, and the Report has not yet been presented to the House. Therefore, before we discuss this question, I would like to know from the Government why the report has not been presented, why the Government has become a defaulter as before the session the report should have been presented. I would like to have a proper explanation from the Government.

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister is going to make a statement.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: What has he to say about it? He is going back on his commitment. We cannot take it so lightly.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): मैंने इसी संदर्भ में विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): The Minister cannot wriggle out of the assurance on the basis of a statement which he is yet to make in the House. Have you allowed the Minister to make the statement?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has already been circulated.

श्री हरीश कुमार गंगवार: मैंने मर्यादा भंग का प्रस्ताव दिया है। इन्होंने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट हाउस में नहीं रखी है हाउस में वायदा करने के बाद। श्री वेंकटसुब्बय्या के खिलाफ प्रिवलेज मोशन आना चाहिये। यह बहुत बड़ा गम्भीर मसला है, सारे देश का मसला है और आप इसको टालते जा रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MNISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Don't be excited. Please listen to me. Give me the benefit of hearing.

श्री हरीश कुमार गंगवार: इस सदन के अन्दर इन्होंने घोषणा की कि इसी सत्र में रखूंगा। करोड़ों लोगों की निगाहें लगी हुई हैं इस रिपोर्ट पर।

MR. DEPUTY SPEAKER: Should you not hear him?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Some of the hon. Members made certain remarks. They are labouring under certain misconceptions. According to the Article quoted by my friend, Mr. Chandrajit Yadav...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What about your assurance?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I will not leave even one point. Please hear me patiently.

As per the Article quoted, it is incumbent upon the Government to lay on the Table of the House the report of the Commission together with the recommendations. I will read the pertinent portion.

> "The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament."

On that day, the Speaker also has very correctly observed that though it is incumbent on the part of the Government to lay the report of the Commission on the Table of the House, there is no time limit prescribed...

SHRI CHANDRAJIT YADAV: What do you mean by that? Then what is the use of appointing a Commission?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Why don't you give me the benefit of hearing?

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): It is now Private Member's business. They are wasting our time, Sir.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: If the hon. Members are going to interrupt me, it will be difficult for me to explain. When they raised so many points, I never interrupted them.

Secondly, their allegation is that the Minister has made a categorical commitment that the report of the Commission will be laid on the Table of the House during this session. That is there. On that day also I made it clear that it is not the intention of the Government either to ignore the report or was there any hesitancy on the part of the Government to lay the report on the Table of the House. The hon Members should not be obsessed with an idea that the Government is trying to shelve something and is not prepared to come before the House It is not like that. I do not want to misled the House nor am I going back on what I have said earlier. We have been making sincere efforts because the recommendations part of it is most important. Even according to the Constitution, only placing of the report will not fulfil the obligation enjoined by the Constitution. It must be together with the recommendations. The moment I made a commitment here, we have been trying our best to also place the recommendations along with the report. But, because of the voluminous recommendations made and also certain recommendations that have been made to the Government, it was not possible for us to place the report along with the recommendations....

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Are not the recommendations part of the Report?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: That is a part of the report.

SHRI GEORGE FERNANDES: Then, what are you saying. These are important recommendations. I have given notice to the Speaker that I am making a statement explaining to the

House the reasons for not placing the report with its recommendations on the floor of the House.

I have already given a notice.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): उपाध्यक्ष महोदय, अब जनता को इस तरह से धोखा नहीं दिया जा सकता। (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not allowing any kind of special discussion on this. (*Interruptions*) Mr. Kashyap you can seapk now. (*Interrutions*) He is making a statement. If you are not speaking, I shall call upon Shri Acharya. The Minister was explaining the position of the Government. What are you going to do further? Please go to your seat.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: Where is the statement, we would like to know.

इस देश के करोड़ों पिछड़े हुए लोगों की आशाएं उस पर लगी हुई हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो मैं वाक-आउट करता हूं।

[*Shri Harish Kumar Gangwar then left the House*]

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It was a recommendation on which action has been taken. (

SHRI MOOL CHAND DAGA: Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule?

SHRI MOOL CHAND DAGA: 26 (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Private Member's Business comes once a week. Please do not spoil. There are many people. Shri Vasudeva Acharya. (*Interruptions*)

Please go to your seat. I am not allowing a general discussion on this. He wanted some clarification. So also Shri Vajpayee. I allowed them. Please go to your seat. It is not proper. You get the private member's business once in a week. Please cooperate with me. (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You gave an assurance about placing of the Mandal Commission's Report.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Let the Private Members' Business be allowed now. (*Interruptions*) ..

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not able to hear you. What can I do? Let one of you speak. Then only I can follow.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to seek one clarification. ..

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: Do you want to save the Minister?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yadav, wanted to say something.

श्री चन्द्रजीत यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर जरा मेरी बात को सुनें।

दो सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के मुताबिक बैकवर्ड क्लासिज कमीशन—वी. पी. मंडल कमीशन—बना था और उसी अनुच्छेद के मुताबिक उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सही है? अनुच्छेद 344 (3) के मुताबिक राष्ट्रपति को उस कमीशन की रिपोर्ट को और सरकार द्वारा उसपर की गई कार्यवाही के ब्यौरे को इस सदन में रखवाना है। यह सरकार की सांविधानिक जिम्मेदारी है और वह इससे बच नहीं सकती। उस रिपोर्ट को तथा उसपर की गई कार्यवाही के विवरण को यहां पर रखना है।

दूसरी बात : क्या यह बात सही है या नहीं कि मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि वर्तमान सत्र में सरकार उस रिपोर्ट को इस सदन में पेश करेगी?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He does not deny that.

श्री रामजीत यादव : अब मंत्री महोदय कहते हैं कि चूंकि वह रिपोर्ट बहुत बड़ी है, उसमें सिफारिशें बहुत ज्यादा हैं, और सरकार ने अभी उनपर कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए अभी वह उसको यहां रखने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री की यह सब से बड़ी गैर-जिम्मेदारी है कि वह यह बयान दे दें कि रिपोर्ट को इस सत्र के अंदर सदन में रखा जायेगा, लेकिन उस पर कार्यवाही न करें। उन्हें यह मालूम था कि रिपोर्ट इतनी बड़ी है, सिफारिशें इतनी अधिक हैं और सरकार ने इस बारे में जो कार्यवाही करनी है, वह नहीं हुई है, इस लिए वह उसको यहां पेश नहीं कर सकते। मेरा सब से बड़ा आरोप यह है कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने बड़ी गैर-जिम्मेदारी का काम किया है।

क्यों हमारे मन में यह भावना उठती है? बैकवर्ड क्लासिज के बारे में काका कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, इस सरकार ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज सारे देश के बैकवर्ड क्लासिज यह महसूस करते हैं कि यह सरकार निरंतर उनकी उपेक्षा कर रही है और उस को उनकी कोई चिन्ता नहीं है। इन वर्गों के करोड़ों नौजवान बेकार हैं। वे चपरासी भी नहीं बन सकते, चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरी में भी नहीं जा सकते। उनके साथ भेदभाव होता है। यह सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन की सिफारिशों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have taken up Private Members' Business. Therefore, I would suggest the Minister has to inform me or inform you through a circular that he will be presenting a statement this evening. Then you can raise these matters.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। मंत्री महोदय ने एशोरेंस दी है। इस मुल्क के 50 प्रतिशत लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: It will be taken up at 5.30 p.m. After 5.30 p.m. he is going to make a statement. You may raise it then. You must adhere to the Rules.

श्री जगपाल सिंह : उन्होंने पहले से तैयारी क्यों नहीं की ? (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister make the statement and then you raise it.

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप: उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में जो बिल श्री आर. पी. यादव ने प्रस्तुत किया है उसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। . . . (व्यवधान) . . .

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना और उसने बहुत समय पहले रिपोर्ट दी। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और पिछड़े वर्ग के लोगों का कि उन के साथ विश्वासघात किया गया और उस कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इस के बाद जिस दल की सरकार बनी यहां पर कुछ दिन के लिए उस ने भी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात की, लेकिन जब वह सत्ता में आए तो उन्होंने भी उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया और श्री बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में एक नये कमीशन की स्थापना गई। हमारी निगाहें उस पर लगी रहीं, आश्वासन दिया गया कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी और उस को लागू किया जायगा। संविधान के अनुच्छेद 340 में यह है कि जैसे ही बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट प्रेसीडेंट के पास और सरकार के पास आएगी, सरकार उस का क्या इम्पलीमेंटेशन करने जा रही है, उस के बारे में अपनी रेकमेंडेशन के साथ सदन के सामने सारी चीज लाएगी। इस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में दी हुई है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में इस बात की व्यवस्था है कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिन को सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिला हुआ है उन को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जायगा। इस के

अलावा और अनेक उन की सुविधाओं की बात है ।

इतने लम्बे बरसे तक पिछड़े वर्ग के लोग जिन की 60 प्रतिशत के करीब इस देश में संख्या है इस सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न सदन की तरफ निगाहें लगाए देखते रहे लेकिन हमने कभी उन की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज उस के कारण पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा हो गया है, इस सदन के प्रति भी अविश्वास पैदा हो गया कि हमारी बात को सुना नहीं जाएगा । जैसे काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गई, ऐसे ही बी. पी. मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएगी । मखौल बनाया जाता है । पिछली बार ज्ञानी जी ने एम पीज की एक मीटिंग में कहा कि हम बजट सेशन में प्रस्तुत करेंगे । उस समय नहीं प्रस्तुत किया गया । कोचीन में गृह राज्य मंत्री ने भाषण दिया और कहा कि इस चालू सत्र में पेश करेंगे । यहां पर राज्य मंत्री द्वारा चालू सत्र में पेश करने का वादा किया गया लेकिन उस रिपोर्ट को फिर भी पेश नहीं किया गया ।

आज इस देश में पिछड़े वर्ग की हालत क्या है ? उन की हालत कितनी दयनीय है उस के बारे में किसी की दो राय नहीं हो सकती । सारे देश में पिछड़े वर्ग के लोग मेहनत करते हैं लेकिन उस का फल उन को नहीं मिलता । वह समाज जिस को सरकारी नौकरियों में स्थान न मिले, राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की सेवाओं में जिसे स्थान न मिले-वह कैसे इस देश के अथवा प्रदेशों के शासन में हिस्सा ले सकता है । अब तक कहा जाता था कि अवेलेबल नहीं हैं और आज जब अवेलेबल हैं तो कहा जाता है कि सूटेबल नहीं हैं । कहा जाता है सूटेबिलिटी के नाम पर आप को आरक्षण पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप सूटेबल नहीं हैं । डाक्टरी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि डाक्टर बनने के वे योग्य नहीं हैं । आज देश में दाइयां कौन हैं? वे छोटे वर्ग की हैं । आज वे दाई तो हो सकती हैं लेकिन उनके बच्चे डाक्टर बनने के काबिल नहीं हैं । आज देश में बढ़ई और लोहार लोहे और लकड़ी का निर्माण कार्य कर सकते हैं लेकिन उनके बच्चे इंजीनियर बनने के काबिल नहीं हैं । आज उनके बच्चे पानी में तो तैर सकते हैं लेकिन उनको इस देश की नेवी में जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे इस योग्य नहीं समझे जाते हैं । आज किसान के बच्चे हल चला सकते हैं लेकिन वे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर या एग्रीकल्चर आफिसर नहीं बन सकते हैं । उनके बच्चे मछली तो पकड़ सकते हैं लेकिन फिशरीज डिपार्टमेन्ट में जाने का उनको अधिकार नहीं है ।

मैं आज बहुत खुले शब्दों में यहां पर कहना चाहता हूं कि श्री आर. पी. यादव ने जो बिल यहां पर रखा है उसके प्रति अगर सरकार की मनोवृत्ति नहीं बदली तो वह दिन आयेगा जब 15 फीसदी आरक्षण ये लोग ले लेंगे । दूसरी तरफ जन्मजात आरक्षण सैंकड़ों सालों से चलता रहा है जैसे मन्दिर में कोई दूसरा पुजारी नहीं बन सकता, कोई दूसरा महन्त नहीं बन सकता । आज इस देश में एक व्यक्ति धनी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है लेकिन उसकी जाति नहीं बदलती, उसका वर्ण नहीं बदलता और उसका वर्ग नहीं बदलता । एक करोड़पति कंगाल हो सकता है, एक कंगाल करोड़पति हो सकता है लेकिन फिर भी उस की जाति नहीं बदलती है । यहां तक कि कोई बड़े से बड़ा आदमी भी हो, जैसे बाबू जगजीवन राम जी हैं, उन्होंने अगर मूर्ति को छू लिया तो गंगा जल से मूर्ति को पवित्र करने की कोशिश की जाती है । इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का एक-मात्र तरीका यही है कि श्री आर. पी. यादव ने इस बिल में पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण देने की जो बात कही वह मिलना चाहिए । उनकी आबादी के अनुपात में उनका आरक्षण मिलना चाहिए । अगर इतना आरक्षण आप नहीं देते हैं तो हमारी मंशा पूरी नहीं होगी । समाज के कुछ लोग बहुत पीछे छूट जायें और उनकी ओर कोई ध्यान न दिया जाए—आज वह समय नहीं रह गया है । आज वह समय आ गया है कि उन

श्री जयपाल कश्यप)

लोगों को अवसर दिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए ।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए समुचित मशीनरी का निर्माण भी करना आवश्यक होगा । आपने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को आरक्षण दिया है लेकिन आजतक उनका कोटा पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि उनका कोटा पूरा करने वाले और इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उनका मन साफ नहीं है । आज चाहे रिक्रूटमेन्ट का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, आरक्षण का मामला हो—इसके इंप्लीमेंन्टेशन के लिए जो मशीनरी है उसमें भी जब तक इसी वर्ग के लोग नही होंगे तब तक इन लोगों को अपना अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

आज जहां तक सरकारी सेवाओं की बात है, यह कुलीन लोगों का एकाधिकार बन गया है । वे समझते हैं कि वही उसके एकमात्र अधिकारी हैं । वे कहते हैं कि तुम शासन नहीं चला सकते । हम हल चला सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं और दूसरी सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन हम से कहा जाएगा कि इन जगहों पर जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है । सरकारी नौकारियों का देश में वही स्थान है जैसे कि किसी गाड़ी का स्टियरिंग आप चलाते रहें और दूसरों से कहें कि धक्का लगाते रहो । 33 साल तक यही चलता रहा लेकिन अब इसको हम आगे बरदाश्त नहीं करेंगे। अब अगर आप पिछड़े वर्ग संबंधी कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू नहीं करेंगे और आरक्षण नहीं देंगे तो पूरा देश इसके विरोध में उठकर खड़ा हो जायगा और एक दिन इस संसद का घेराव करके लोग आपको इसके लिए मजबूर कर देंगे । जैसा कि डा. लोहिया और महात्मा गांधी ने कहा था कि संसद को बांझ मत बनाओ, 9 महीनों में, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन रिपोर्ट पेश होने के बाद भी आपने इस पर बहस नहीं कराई जबकि 9 महीनों में सन्तान हो जाया करती। आप इतना काम करने में असफल रहे हैं । हम इस काम को करने के लिए आप को मजबूर करेंगे और इस काम में देश के सारे बैकवर्ड क्लास के लोग, हरिजन-आदिवासी और गरीब मजदूर और किसान, ट्राइबल्स हमारे साथ होंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे । श्री वेंकट सुब्बय्या जी अगर आप इस रिपोर्ट को पेश नहीं कर पायेंगे तो हम आपको मजबूर करेंगे, पेश करवाने के लिए भी और लागू करने वाले के लिए भी । चाहे भले ही हमें इसके लिए गोलियां खानी पड़ें और जेल जाना पड़े तथा सत्याग्रह करना पड़े ।

इन शब्दों के साथ मैं यादव जी के इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष जी, सवाल यह है कि इस देश के प्रशासन में इस प्रकार के विभिन्न वर्गों के लोगों को स्थान मिले । जब हमारे देश का संविधान बनाने वाले इस बात पर विचार कर रहे थे, देश के पूरे प्रशासन पर, देश के राजनीतिक ढांचे पर और देश की जनता के सभी वर्गों के हित तथा कल्याण के लिए, तब उन दूरदर्शी लोगों के दिमाग में यह बात थी कि इस वर्ग को भी देश में उचित स्थान मिलना चाहिए। आखिर देश की आजादी का लक्ष्य क्या है—देश की आजादी का लक्ष्य यह है कि इस देश की आम जनता की भलाई हो सके, उसकी प्रगति हो सके, प्रशासन में और देश की राजनीतिक व्यवस्था में वह बराबर का हिस्सेदार बन सके--ये बातें उनके दिमाग

15.37 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

में थी । ऐसे लोग जिनको कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक---इन तमाम व्यवस्थाओं के अन्दर उचित स्थान नहीं मिला है, समाज और प्रशासन में उचित स्थान नहीं मिला है, देश के आर्थिक विकास में उचित हक नहीं मिला है वह हक उनको मिलना चाहिए । इसलिए हम इस देश में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो जातिविहीन होगी, जो वर्गविहीन होगी और जिस व्यवस्था के अन्दर इस देश की आम जनता का कल्याण होगा। मगर संविधान के बनाने वालों की दृष्टि से यह बात ओझल नहीं हुई कि इस देश की

विशेष परिस्थितियां हैं और भारतीय समाज आज से नहीं बल्कि सदियों से हजारों वर्षों से इस देश में ऐसी व्यवस्थायें थी, जिनमें जाति का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, वर्ग का प्रभाव था और आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रभाव था। इसलिए हमारे देश के भाग का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रह गया, जिसको इस देश में सामाजिक क्षेत्र में सम्मान नहीं मिला, बराबरी का स्थान नहीं मिला और आर्थिक क्षेत्र के अन्दर उस का शोषण होता रहा और वह पिछड़ा रह गया, गरीब रह गया, प्रशासन में उसका कोई स्थान नहीं रहा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने कहा कि नहीं, इस देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं---उदाहरण के लिए इस देश में अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, जिनके साथ इस देश में अछूत कह कर सदियों से दुर्व्यवहार होता रहा है। यह समाज इतना विकृत हो गया है, जिस समाज के अन्दर कुछ सवर्ण हिन्दू घरों के अन्दर कुत्ता और बिल्ली जिस बर्तन में पानी पी लेता था, उस झूठे बर्तन को धो कर उसमें फिर से पानी पीते थे। मगर इन्सान का बेटा, अगर वह गरीब घर में पैदा हो गया है, अनुसूचित जाति वर्ग में पैदा हो गया या मुसलमान के घर पैदा हो गया, तो उन के द्वारा झूठा किया हुआ बर्तन फेंकने के काबिल था, लेकिन उसे धोकर पानी नहीं पीते थे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उनके दिलों पर क्या गुजरती थी। वही वर्ग जो इस देश में दौलत पैदा करने वाला, खेतों में काम करने वाला, खलिहानों में काम करने वाला, कारखानों में काम करने वाला, खून को मशीनों की तरह बहाने वाला, उनका समाज कुत्ता और बिल्ली के बराबर भी नहीं है, ऐसा हमारा समाज विकृत हो गया था। इस लिए जब देश आज़ाद हुआ और आजादी के बाद हम ने अपनी जनता का ध्यान रखा, तो संविधान के बनाने वालों ने कहा कि नहीं इस देश की आजादी का मकसद पूरा नहीं होगा, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने अधूरे रह जाएंगे, जब तक इस देश के करोड़ों गरीब, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी हुई जातियों, माइनोरिटीज के लोग और दूसरे वर्गों में भी जो गरीब लोग हैं, उन को स्थान नहीं मिलता समाज के अन्दर। इसलिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भाइयों के लिए इस सदन में कुछ स्थानों को सुरक्षित रखा गया। अब सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों, प्रजातंत्र के अन्दर यह भेदभाव क्यों जब जनता से सब चुन कर आते हैं लेकिन हमारे संविधान के निर्माता यह जानते थे कि हिन्दुस्तान के हमारे समाज में जिस तरह से पैसा अपनी भूमिका निभाता है, जिस तरह से जाति अपनी भूमिका निभाती है, जिस तरह से साधन सम्पन्न वर्ग अपनी भूमिका निभाता है, उस में अगर इन लोगों के लिए स्थान सुरक्षित न किए गये, तो उन को संसद में और विधान मंडलों में स्थान नहीं मिल सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रजातंत्र के सारे उसूलों की प्रतिष्ठा पूरी हो सके, इन के लिए स्थानों को सुरक्षित किया गया और मैं यह जानता हूं कि अगर उन को यह आरक्षण न मिलता, तो वे यहां नहीं आ सकते थे। जिला परिषदों में भी, विकास खंडों में भी, अगर यह न होता, तो वे नहीं आ सकते थे क्योंकि आज जिस तरह की राजनीति है, जिस प्रकार का प्रभाव राजनीति पर हो गया है, उस को देखते हुए, यह जो व्यवस्था की गई थी, वह बिल्कुल ठीक है। संसद में या विधान मंडलों में या दूसरी चुनी हुई संस्थाओं में खाली इन को प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, तो क्या इन के हौसले पूरे हो जाएंगे, इन के अरमान पूरे हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र के ढांचे में आप और हम सब जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि विधान मंडलों के चुनाव होने के बाद, सरकार की सही सत्ता, सही शक्ति कहां पर है? आज वह हमारे देश में जो प्रशासन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उस के हाथ में है। हम जानते हैं कि आज बहुत से मंत्री ऐसे हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन सी योजना है और कैसे उस को पूरा करना है और क्यों उस के बारे में करना है। आज विभाग का जो सचिव है, सैक्रेटरी है, वह सारा मालिक बन बैठा है, जो डाइरेक्टर है, उस के हाथ में ही सारी शक्ति है। इस लिए यह जरूरी हो गया है कि इस देश के प्रशासन में नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में भी, इन वर्गों को स्थान मिले। इसलिए हमारे संविधान की जो धारा 16 है, पार्ट

[श्री चन्द्रजीत यादव]

3 में, जो राइट आफ इक्वेलिटी के बारे में है, उस में उप-धारा (4) में पोस्टों के रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि यह मानते हुए कि सब को बराबर का अधिकार है, हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को बराबर के अवसर मिलें लेकिन भारतीय समाज में इस के रहते बैकवर्ड क्लासेज और दूसरे ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिल सकता था, इसलिए यह कहा गया कि उन के लिए एम्पलायमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 16(4) में खास तौर पर इस के बारे में इसलिए कहा गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों में इस बुनियाद पर कि सब को बराबर का हक है, भेदभाव या डिस्क्रीमिनेशन आदि बातों का सहारा ले कर कहीं इस को स्ट्राइक डाउन न कर दिया जाए, इसलिए यह कहा गया है:

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward, class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State."

हमारे संविधान के अन्दर इस बात की साफ व्यवस्था की गई है। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि अगर बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होगा, तो दूसरों के बच्चों का क्या होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने बराबर इस सदन में कहा है और इस सदन के बाहर भी कहा है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि भारत के संविधान में इस तरह का संशोधन किया जाए कि हिन्दुस्तान के हर एक बालक लड़के को और लड़की को, जो काम करना चाहता है, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलता हो और चाहे किसी भी इलाके में रहता हो, उस को इस बात का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए कि उस को राईट आफ एम्पलायमेंट हो।

Constitutional guarantee for employment for every adult person who seeks job belonging to any class of section.

सब को मिलना चाहिए लेकिन क्या यह सरकार इस को करने में सक्षम है? नहीं यह कर नहीं सकती यह सरकार। अगर सरकार इस बात को कर देती कि हर पढ़े लिखे लड़के और लड़की को चाहे वह किसी भी जात बिरादरी का हो नौकरी मिलेगी और यह जिम्मेदारी सरकार की होगी तो शायद यह सवाल इतना टेढ़ा नहीं होता जितना हो रहा है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में योजना मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि एक करोड़ 20 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेकार फिर रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार के दफतरों में उन्होंने नाम भी लिखा रखा है। छठी योजना के समाप्त होते होते ऐसे लोगों की संख्या ढाई करोड़ हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इन बेरोजगारों का सर्वेक्षण सरकार करा ले और पता लगा ले कि कौन से बच्चे हैं जो बेकार हैं। गरीबों के ही ये बच्चे हैं, गरीब घरों में पैदा हुए हैं, माइनोरिटी के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे हैं, पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं, ये गरीब जिन के पास साधन नहीं हैं, जिन की सिफारिश नहीं है, जिन की कोई पहुंच नहीं है उनके बच्चे हैं जिन की कोई मदद करने वाला नहीं है ठोकरें खाते चारों तरफ ये घूम रहे हैं। सरकार ने अपनी बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है।

प्रशासन में जो अस्सी प्रतिशत गरीब जनता है, पिछड़ी हुई जनता है जो गांवों में रहती है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन की शिकार है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आई ए एस, आई एस, आई पी एस, आल इंडिया सार्विसिस के लिस्ट मगां कर आप देख लें, इन में उनका कितना प्रतिनिधित्व है। तसवीर साफ हो जायेगी पैंतीस साल की आजादी

के बाद सही मानों में जिन में सत्ता निहित है उनका क्या व्यवहार इन लोगों के प्रति है। बजट पास हो जाता है। बांटने वाले कौन होते हैं ? जिलाधीश होते हैं, इंजीनियर होता है, सचिव होता है । ये किन जातियों के हैं ? ये उन जातियों के हैं जिन के दिल में इनके प्रति कोई दर्द नहीं है । सर्टिफिकेट लेने के लिए ये जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है । नौकरी के लिए जाते हैं तो दुत्कारे जाते हैं । यह प्रजातंत्र का मजाक है, मखौल है । देश में गरीबी मिट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है । उसकी वजह यह है कि आज सरकार की नीतियां, विभागों की बनी हुई रिपोर्टें और दस्तावेज चाहे जितना अच्छे हों, उनको पूरा नहीं किया जाता है और पूरा करने वाले भी यही लोग हैं।

बिहार में जाति के नाम पर पिछड़े हुए बच्चों को, जन जातियों और अनुसूचित जातियों के लड़कों को ब्रिलियेंट लड़कों को स्कूलों और कालेजों में जहां अस्सी प्रतिशत नम्बर मिलने चाहियें तीस प्रतिशत नम्बर ही दिये जाते हैं और वह इस लिए कि कहीं उनको मैडिकल कालेजों में, इंजीनियरिंग कालेजों में एडमिशन न मिल जाए, दूसरे कम्पीटीशंज में न आ जाए, ऊंची सर्विसिस में न आ जाएं । यह जो विष है यह कालेजों और यूनिवर्सीटियों तक में पहुंच गया है । इन बच्चों और इन जातियों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं । सरकार की नीति पूरी की पूरी उपेक्षा की नीति है ।

प्रधान मंत्री ने बहुत अच्छा भाषण कल दिया । उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिकता अभिशाप है, जातीयता अभिशाप है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । हम उन से सहमत हैं । जातीयता और साम्प्रदायिकता बुरी चीजें हैं । लेकिन इस देश में क्या यह वास्तविकता नहीं है कि जाति के नाम पर चूंकि वह बड़ी जाति में पैदा हुआ है दूसरों को छोटा समझता है और उस छोटी जाति वाले को वर्तन में पानी पीने का अधिकार नहीं है, सामने चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है, बराबरी का हक मांगने का अधिकार नहीं है, अपने नाम के सामने कोई उपनाम लिखने का अधिकार नहीं है जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती हो, यज्ञोपवीत, यानी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है? अपने इलाके में मैंने देखा है कि इन्हीं सवालों को ले कर इन जातियों के लोगों को मारा पीटा गया है, तंग किया गया है । शोषित जाति के किसी आदमी ने उस कुएं से पानी ले लिया जिससे ऊंची जाति के लोग पानी भरते हैं तो उस पानी में गोबर, भूसा, मिट्टी का तेल तक डाल दिया गया और उस व्यक्ति को बुरी तरह से सताया गया, पीड़ित किया गया । गरीब हरिजन का लड़का, मैंने अपने जमाने में देखा है, एक लड़का जिसके बाप ने मनीआर्डर भेजा उस मनीआर्डर को लेने गया और एक ऊंची जाति के आदमी के सामने चारपाई पर बैठ गया । जब मालूम हुआ कि वह एक हरिजन है तो उसको 10 खड़ाऊं मारी कि तुम हमारे दरवाजे के सामने चारपाई पर क्यों बैठ गये । आज यह वास्तविकता है । क्या इससे आंखें बन्द कर सकते हैं? इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था जैसे आर्थिक व्यवस्था में एक सामन्ती व्यवस्था थी, वैसे ही ब्राह्मणी व्यवस्था की प्रवृति थी जिसने समाज में छोटे, बड़े, ऊंच, नीच की भावना पैदा की और समाज को बांटने की कोशिश की । जिसने खेत में मेहनत की, खलिहान में मेहनत की उसको छोटा समझा गया । आज देश में सामाजिक क्रान्ति की जरूरत है । यह क्रान्ति कैसे आयेगी? आज सरकार को भी इसके लिये कदम उठाना चाहिए । आज सरकार कहती है कि आर्थिक आधार होना चाहिये । क्यों आर्थिक आधार हो? कांग्रेस सरकार क्या इसका जवाब देगी, कांग्रेस की ही सरकार आन्ध्र में है, वहां पिछड़ी हुई जातियों को, अनुसूचित और जनजातियों के अलावा, उनके लिये आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सर्विसेज में 30 फीसदी रिजर्वेशन दिया हुया है । कांग्रेस सरकार ने ही अपने जमाने में कर्नाटक में जब श्री अर्स की सरकार थी, तब 40 फीसदी रिजर्वेशन दिया हुया था । आज केरल में जहां तमाम वामपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां 31 फीसदी रिजर्वेशन मिला हुया है । तमिलनाडु के अन्दर 31 फीसदी रिजर्वेशन है । अगर वहां रिजर्वेशन हो सकता है तो क्यों नहीं वही कांग्रेस सरकार केन्द्र में कानून बनाती है कि केन्द्र की सर्वि-

[श्री चन्द्रजीत यादव]

सेज में भी पिछड़ी हुई जातियों को कम से कम 30 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा? क्यों नहीं ऐसी हिदायत दी जाती है दूसरे सूबों में उनकी आबादी के मुताबिक उनको रिजर्वेशन दिया जायेगा ? आज जो सवाल उठाते हैं आर्थिक आधार का वह इस सवाल को टालना चाहते हैं । कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि हर घर में एक आदमी को काम मिलना चाहिये । आप काम दीजिये, जो पिछड़े हुए नहीं हैं उनके बच्चों को काम दीजिये । प्लानिंग कमीशन ने मेरे पत्र में इन्कार कर दिया, मैंने कहा था 150 रुपये महीना हर बेकार नौजवान को बेकारी भत्ता दीजिये । स्वीडन, नार्वे, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, यू. के, अमरीका में, यह सोशलिस्ट कन्ट्रीज नहीं है, समाजवादी देशों में कोई भी बेकार नहीं है, लेकिन इन देशों में भी वहां की सरकारें हमारे रुपये में 1,000 से ले कर 1,800 रुपये महीना बेकारी भत्ता देती हैं । इसलिये 150 रुपये कम से कम ऐसे बेकार नौजवान को आप दें ।

काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट, बी. पी. मण्डल कमीशन की रिपोर्ट, इन दोनों को मिला कर के सरकार आने वाले सेशन से पहले नवम्बर के पहले, दोनों कमीशनों की रिपोर्ट पर विचार करे, उनकी सिफारिशों को सोच समझ कर के लागू करे। खाली आर्थिक आधार नहीं हो सकता । जब तक सामाजिक विषमतायें देश में हैं, सामाजिक कुरीतियों की वजह से समाज का बहुत बड़ा भाग पिछड़ा हुआ है, जब तक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जो बुनियादी आधार है उसको आप नहीं मानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । जिस प्रकार से दक्षिण के प्रदेशों ने 30 से ले कर 40 फीसदी तक रिजर्वेशन दिया है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में हरियाणा में, पंजाब में तथा अन्य प्रदेशों में भी आप इसी प्रकार रिजर्वेशन लागू करें ।

मुझे अफसोस है कि गुजरात में भी एक आन्दोलन चलाया गया । कौन लोग थे वे? वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग थे, जिन्होंने उस आन्दोलन को चलाया और उस आन्दोलन में कहा गया कि जो रिजर्वेशन है, उसको खत्म कर दो, शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन को खत्म कर दो ।

मैं कहता हूं कि कौन शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी रिजर्वेशन मांगता है? अगर उसको हक मिला होता, सत्ता में वह भागीदार होता, आपने उसको इस लायक बना दिया होता आर्थिक तरीके से, वह कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह उनका वैधानिक हक है, जो मांग रहे हैं । जब तक उनका वैधानिक हक उनको नहीं मिलता, ऐसे आन्दोलन निहित स्वार्थ के आन्दोलन इस देश में चलेंगे, दूसरी प्रक्रियाएं इस देश में शुरू करेंगे ।

मेरी मांग है कि पिछड़े वर्ग के लिये केन्द्र की तमाम सर्विसेज में और प्रदेश की सर्विसेज में और ऐसी शिक्षा संस्थाएं जैसे मैडिकल है, इंजीनियरिंग है, दूसरी टैकनिकल सर्विसेज है, पब्लिक सैक्टर में है, इनमें उनकी संख्या के अनुपात में कम-से कम 30 प्रतिशत उनका रिजर्वेशन होना चाहिये ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): You suggest reservation according to population or 30 per cent of the employment?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: It should be according to the percentage of population in the society. They deserve reservation according to their entire population in the society. If it is not possible, I am suggesting that the minimum should be 30 per cent in all the sectors, including the public sector.

हमारे मकवाना साहब को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों से बहुत हमदर्दी है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग आज इतनी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उनका 1 फीसदी, 2 फीसदी और 3 फीसदी रिजर्वेशन भी पूरा नहीं हो पाता है । उनको पूरा करने के लिये स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष सुविधाएं,

आर्थिक हालत को दुरुस्त करने के लिये विशेष कदम उठाने चाहियें और यह काम बड़े पैमाने पर होने चाहियें । अगर यह कदम नहीं उठाये जायेंगे तो देश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा होगी

माइनॉरिटीज ने कोई रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया है । लेकिन वास्तविकता है कि आज माइनॉरिटीज के लोग जहां भी जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनके साथ भेदभाव होता है । हमारे साथी ने कहा कि वह मजबूर होकर यह कर रहे हैं । इसलिये आज उनके रिजर्वेशन के सवाल पर भी हमको विचार करना चाहिये ।

मैं फिर से दोहराकर कहना चाहता हूं कि अगले सैशन से पहले वी. पी. मण्डल की रिपोर्ट, जैसी आज सदन में स्थिति सरकार ने की है, यह स्थिति नहीं होनी चाहिये, यह दुखदायी स्थिति है, कमिटमेंट देने के बाद गैर-जिम्मेदारी की बात ठीक नहीं । अगर यह तैयार नहीं हो सकती थी तो इस सदन में इस तरह का आश्वासन नहीं देना चाहिये था, यह वादा-खिलाफ हुई और अगर यह पूरा नहीं होगी तो देश में असंतोष के भावना पैदा होगी ।

मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार को देश में नौजवानों में बढ़ती हुई बेकारी को ध्यान में रखते हुए आज अपनी पूरी सर्विसेज, एम्पलायमेन्ट, पोस्टिंग की नीति पर पूरे तरीके से विचार करना चाहिये ताकि वह वर्ग जिनको स्थान नहीं मिल सका है, उनको उचित स्थान मिल सके । धन्यवाद ।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद): चेयरमैन साहब, यहां केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण की मांग की गई है, मैं उसके उद्येश्य का समर्थन करता हूं। प्रस्ताव में तथा जो और संशोधन हैं, उनमें विभिन्न प्रतिशत की मांग की गई है, इसलिये उसके बारे में मैं अपनी राय नहीं देना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लिये सेवाओं में, चाहे वह राजकीय सेवाएं हों, चाहे केन्द्र की सेवाएं हों, उनमें आरक्षण जरूरी है और उसी तरह की सुविधाएं उनको शिक्षा में भी मिलनी चाहियें । शिक्षा और टैक्निकल शिक्षा में भी उनके एडमिशन के लिये ऐसी व्यवस्था की जाये कि उसको शिक्षा मिल सके उनकी संख्या के अनुरूप ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछड़ी जातियों, जो कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उनकी संख्या लगभग 50 प्रतिशत है। किसी प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा है, किसी में उसके लगभग है, हमारे उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 53 प्रतिशत है । संख्या 50 प्रतिशत और कहीं कहीं ज्यादा है, लेकिन सरकारी सेवाओं में उनका स्थान अभी तक केवल एक या दो प्रतिशत है । जिस वर्ग की संख्या 50 प्रतिशत हो और सरकारी सेवाओं में उसका प्रतिनिधित्व केवल एक दो प्रतिशत हो, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है । यह मानना पड़ेगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय को दूर करना है ।

हमारी जो पुरानी परम्पराएं और व्यवस्थाएं थी; उनके कारण कुछ जातियां पिछड़ गई और उनको आगे बढ़ने की जो सुविधायें मिलनी चाहिए थी, वे नहीं मिली । आज के जमाने में स्वतंत्र भारत में उनके विकास और उन्नति के रास्ते में जो कठिनाइयां हैं, उनका निराकरण होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए । उसमें देर करने से कोई लाभ नहीं है । अगर किसी देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या 50 प्रतिशत पिछड़े वर्ग और 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियां : कुल 75 प्रतिशत जनसंख्या--पिछड़ी हुई हो, उसे अपनी प्रतिभा को विकसित करने का मौका न मिला हो तो उस देश की बड़ी हानि होती है । इसके मानी ये हैं कि 50 प्रतिशत लोगों की जो प्रतिभा देश की सेवा में उपयुक्त होनी चाहिए थी, हमारी भूल के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक देश की उन्नति की गति उतनी तेज नहीं हो सकेगी, जितनी कि वह होनी चाहिए । इन दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है ।

[श्री जयराम वर्मा]

जब यह संविधान बना, तो उसमें सब को समानता का अधिकार दिया गया। उसके आधार पर कुछ शंका थी कि हमारा संविधान बनने से पहले से दक्षिणी प्रदेशों में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं मिल रही थी, उनके लिए जो आरक्षण था, संविधान लागू होने पर वह आरक्षण कैसे कायम रहेगा, क्योंकि वह समानता के सिद्धान्त के खिलाफ जाता है। इस लिए खुद पंडित जी की मौजूदगी में संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा गया। वह संशोधन इस लिए किया गया कि अदालतें समानता के आधार पर उस स्टेट्स को पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने से रोक न सकें। पंडित जी ने महसूस किया कि दक्षिणी सूबों में पिछड़ी जातियों को पहले से जो आरक्षण मिला हुआ है, अगर वह खत्म हो जाए, तो यह बड़ा अन्याय होगा, अनुचित होगा। इस लिए संविधान में पहला संशोधन किया गया, ताकि पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण पहले से मिला हुआ था, वह कायम रहे और खत्म न किया जाए।

उसके बाद कई और स्टेट्स ने भी पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने बताया है, सभी दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है और काफी ज्यादा है। वह आन्ध्र प्रदेश में 25 प्रतिशत, तामिलनाडु में 31 प्रतिशत, केरल में 31 प्रतिशत और कर्नाटक में 40 प्रतिशत है।

उत्तर की स्टेट्स में यह आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन सौभाग्य से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण किया गया। जितनी स्टेट्स ने आरक्षण को लागू किया था, वे सब कांग्रेस-शासित प्रदेश थे। कांग्रेस-शासित प्रदेशों ने आरक्षण को लागू किया, क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है कि उन लोगों को उठाने की कोशिश की जाए, उन्हें न उठाना अन्याय होगा। उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में उस समय के चीफ मिनिस्टर, श्री नारायण दत्त तिवारी, ने एक आर्डिनेंस जारी करवा के 15 प्रतिशत आरक्षण दिया, हालांकि उसके आधार पर कानून बाद में जनता सरकार ने बनवाया। लेकिन उस को वह लागू नहीं कर सके क्योंकि उसके बाद एलक्शन होने वाला था। राज्यपाल ने यह कह दिया कि एलेक्शन के बाद जो सरकार आएगी वह सरकार अपना निर्णय करेगी, आर्डिनेंस के आधार पर हम यह आरक्षण लागू नहीं करेंगे। इसलिए आरक्षण लागू नहीं हुआ और जनता पार्टी की सरकार जब आई तो वह आरक्षण 15 प्रतिशत हो गया हालांकि उन की जनसंख्या के आधार पर वह बहुत कम है। लेकिन उस सिद्धांत को उत्तर प्रदेश ने भी स्वीकार कर लिया कि यह आरक्षण इन के लिये जरूरी है।

थोड़ी सी बात और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इस वक्त उस में कुछ संशोधन और सुधार किए हैं। पहले जो आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए था उस का अर्थ यह लगाया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा उतने प्रतिशत उन के लिए आरक्षण है, यानी 15 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लिए है तो उस से ज्यादा नहीं होने चाहिए या 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए है तो उस से ज्यादा वह नहीं हो सकते, इस तरह का अर्थ लगाया जाता था। लेकिन यह खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस में सुधार कर दिया और कहा कि नहीं, यह आरक्षण कम से कम इतना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। यह कम से कम है। अगर योग्यता के आधार पर पिछड़ी जाति के लोग या हरिजन जितना आरक्षण उन के लिए मुकर्रर है उस से ज्यादा आ जाये तो वह सभी लिए जाएंगे। इस तरह से इस में भी थोड़ा और सुधार करने की कोशिश की गई है।

लेकिन यह बात दुख की है कि केन्द्रीय सरकार में इस तरह का कोई आरक्षण पहले से नहीं है। इधर बिहार में भी हो गया है, यह जरूर है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश हमारे कांग्रेस शासित सूबे हैं, वहां पर किन्हीं करणों से यह नहीं लागू किया गया है, ये लगभग हमेशा से कांग्रेस शासित प्रदेश रहे हैं तो राजस्थान और

मध्य प्रदेश में भी पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण तो होना ही चाहिए था, दुख की बात है कि वहां पर आज तक आरक्षण नहीं है, मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकारें उस के लिए जरूर विचार करती होंगी और जरूर उस को लागू करने की कोशिश करेंगी ।

जैसा मैंने कहा इन की संख्या 60 प्रतिशत है और एक या दो प्रतिशत ही सरकारी सेवाओं में उन का स्थान है । किसी देश में भी समाजवाद के सफल संचालन के लिए अगर इस तरह की व्यवस्था रहे कि एक वर्ग जिस की बहुत बड़ी आबादी हो उस का थोड़ा सा ही स्थान हो और जिस की आबादी थोड़ी सी हो उस का बहुत बड़ा स्थान हो तो वैसी स्थिति में प्रजातंत्र का सफल संचालन नहीं हो सकता, उसके लिए आवश्यक है कि हर एक वर्ग को उस की जनसंख्या के अनुरूप इस तरह की सुविधाएं मिलें कि उन का स्थान सरकारी सेवाओं में और दूसरी जगह भी उन की संख्या के अनुरूप हो जाय । अगर इस तरह से असमानता बनी रही. . . .(व्यवधान). . .

मैं तो इस सेशन में पहली बार बोल रहा हूं तो थोड़ा सा समय अगर मुझे ज्यादा दें तो अच्छा होगा ।

मैं कह रहा था कि इतना कम उन का स्थान सेवाओं में है कि उस की तरफ ध्यान देना और जल्दी से उस की व्यवस्था करना जिस में उन की संख्या के अनुरूप उन का स्थान हो जाय, बहुत जरूरी है ।

काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बना । उस ने अपनी रिपोर्ट दी और उस ने आरक्षण की संस्तुति की । लेकिन यह एक दुर्भाग्य की बात है कि उस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । कार्यवाही होनी चाहिए थी और उस की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए थी, सिफारिशों को लागू होना चाहिए था । लेकिन यह बड़े दुख की बात रही कि वह लागू नहीं हुई और उस से पिछड़े वर्ग के लोगों में बड़ा असंतोष और रोष रहा । लोगों के दिल में ऐसी बात आई कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है । जिस की इतनी बड़ी संख्या हो और इस तरह की स्थिति उस की बनी रहे तो उसके लिए उन के अन्दर असंतोष और रोष पैदा होना स्वाभाविक है । श्री बी पी मण्डल की अध्यक्षता में एक दूसरा कमीशन बना, सौभाग्य से उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है । कहा जाता है कि काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट में जो कमियां रह गई थीं उनको इस कमीशन की रिपोर्ट में दूर कर दिया गया है । इसके आधार पर अगर कार्यवाही की जाए तो मेरे ख्याल से न्याय हो सकेगा । अभी कुछ दिन पहले इस सदन में यह मांग की गई थी कि यह रिपोर्ट सदन में तुरन्त रखी जाए, इसी सत्र में रखी जाए। खुशी की बात थी कि हमारे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया था और आश्वासन दिया था कि इसी सत्र में रिपोर्ट रखी जायेगी लेकिन आज यह मालूम करके कि उसको रखना सम्भव नहीं हो सकेगा, किसी कारण से रिपोर्ट रखी नहीं जायेगी, बड़ा दुख हुआ । इससे लोगों के दिल में शंका पैदा होता है कि कहीं जो हश्र काका कालेलकर रिपोर्ट का हुआ, वही हश्र इस रिपोर्ट का भी तो नहीं होने वाला है । इसलिए देर नहीं होनी चाहिए । अगर आप कोई आश्वासन देते हैं तो उसको पूरा न करना कोई अच्छी बात नहीं है । जब कहा गया था तो रिपोर्ट को रखना चाहिए था । लेकिन अब तो वह बात सम्भव नहीं हुई, कम से कम यह आवश्यक हो जाता है कि अगले सत्र में उसको रख दिया जाए और उस पर उसी सत्र में पूरी बहस की जाए । साथ ही सरकार इसके ऊपर क्या कार्यवाही करना चाहती है उसकी जानकारी दी जाए ताकि लोगों को सन्तोष हो सके ।

इसके सम्बन्ध में जो जात-पांत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है वह बात सही नहीं है और न इसके पीछे वह मंशा ही है । इसके पीछे किसी भी प्रकार की कटुता पैदा करने की मंशा नहीं है लेकिन आज जो एक असमानता है, जो सामाजिक विषमता है उसको दूर करने की आवश्यकता है । जब तक सरकारी नौकरियों में इन लोगों को समुचित स्थान नहीं मिलेंगे और उनके लिए शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो सामाजिक असमानता है

[श्री जयराम वर्मा]

उसका दूर होना बड़ा मुश्किल है। आज विभिन्न वर्गों में जो असमानता व्याप्त है उसको दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि सरकारी नौकरियों में उनको समुचित स्थान दिए जायें क्योंकि ऊंचे पदों पर पहुंचने में जाति विशेष का स्थान ऊंचा हो जाता है। अगर सभी वर्गों में करीब करीब समानता आ जाती है तब उसके बाद हम नहीं चाहते कि इस व्यवस्था को जारी रखा जाए। केवल जब तक कि समाज में असमानता व्याप्त है तब तक के लिए ही हमारी यह मांग है। और तब तक के लिए इस व्यवस्था को करना बहुत जरूरी है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी से मुझे इस मामले पर बातचीत करने का अक्सर मौका मिलता है, उनसे हुई बात-चीत के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए उनके दिल में बड़ी सहानुभूति है। वे समझती हैं कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसका निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो उनकी भावनायें हैं, उन भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए और न्याय करना चाहिए। यदि न्याय न हुआ तो बड़ा असंतोष होगा और बड़ा रोष पैदा होगा और मैं समझता हूं कि इन लोगों में जो छुपी हुई शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग देश की सेवा में नहीं हो सकेगा।

मैं इस बात को मानता हूं, चाहे कोई उन्नत वर्ग का हो या चाहे कोई दबे हुए वर्ग का हो--इन लोगों में जो प्रतिभा का सवाल है, अनुसूचित जाति के लोगों में करीब-करीब वही प्रतिभा मौजूद है, जो उन्नत वर्ग में मौजूद है। इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या की प्रतिभा को विकसित करने का मौका न देकर, उनको देश की सेवा से वंचित कर देना देश के हित की बात नहीं है। उनको हर प्रकार से, हर क्षेत्र में ऊपर लाने की कोशिश करना सरकार का कर्तव्य है, तभी जाकर प्रजातन्त्र सफल हो सकेगा।

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I support the merits of this Bill and I feel most Members are supporting this Bill because even the Members opposite cannot deny it.

In this connection, I would like to point out that there is also reservation of places for scheduled tribes. This reservation policy has been followed but the percentage of reservation is not followed at all. The policy is followed. That is, in every Government Undertaking and in the Government offices, the reservation policy will be followed. But that policy is not implemented at all.

AN HON. MEMBER: To a certain extent not implemented.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Not 'not at all' but to a certain extent. They are not interested to implement. They will deliver lectures in the auditoriums and outside before the people.

(*Interruptions*)

The reservation policy is followed. I happened to be a Member of the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I visited several Undertakings of the Government. What did I find? There reservation quota is not followed at all. Either they will say "Not available" or they will say "Not qualified" or "not suitable". Availability and suitability become the main reasons.

I am here referring to the report of the Working Group on Scheduled Castes, 1980—85:

> "In the Central Government offices, in the year, 1978, for Scheduled Castes, the recruitment made was 14.84 per cent and for Scheduled Tribes 3.85 per cent. In the 'A' Category Service, the Scheduled Castes 4.50 and the Scheduled Tribes 8.5".

Category—B: Scheduled Castes 6.44; Scheduled Tribes 0.88; Category—C: Scheduled Castes 12.22; Scheduled Tribes 2.86; Category—D: Scheduled Castes 19.13; Scheduled Tribes 4.60. Thus you will see that the reservation is not followed according to the policy of the Government in Central Government offices. In the State Government also, Scheduled Castes, Category—I 3.28; Category—II 6.08; Category—III 8.02; and Category—IV 17.32. This is the position. In the Central Public sector undertakings, Category—A: Scheduled Castes 2.35; Scheduled Tribes 0.52; Category—B: Scheduled Castes 4.22; Scheduled Tribes 0.95. Thus, the reservation policy for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been implemented.

The number of registrations made in the Employment Exchanges in respect of Scheduled Castes in the year 1978 was 7,26,033; the number of reserved vacancies notified 64,019; the number filled 32,665. For Scheduled Tribes, the number of registrations made in the Employment Exchanges 1,87,107; reserved vacancies ntified 29,922 but filled up 9,418.

The number of job-seekers registered with the Employment Exchanges: Scheduled Castes 14,79,035; Scheduled Tribes 33,09,384.

I want to give these figures to show that Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are available. They are only denied the opportunities.

According to this Bill reservation for backward classes is needed. Who are the people belonging to the backward classes? Kaka Kalekar Commission Report says, apart from Scheduled castes and Scheduled Tribes and denotified Groups:

"Those nomads who do not enjoy any social respect and who have no appreciation of a fixed habitation and are given to mimicry, begging, jugglery, dancing, etc.

"Communities consisting largely of agricultural or landless labourers.

"Communities consisting largely of tenants without occupancy rights and those with insecure land tenure.

"Communities consisting of a large percentage of small landowners with uneconomic holdings.

"Communities engaged in cattle-breeding, sheep-breeding or fishing on a small scale...."

And there are several others also.

These people are backward community people. Their population, according to this Bill, is 52 per cent. If that be the case and if the Government is interested to reserve for them 52 per cent of the posts in the Government service, they can do. But I think the unemployment problem as a whole will not be solved. However, if that is done, that is a good thing for the backward people. That is why I support this Bill.

One point I want to make clear. In the draft Sixth Five Year Plan it is admitted that during this 34 year period they have not implemented it—it is admitted in the Plan document. One of the Directive Principles of State Policy in the Constitution enjoins that the State shall promote with special care the education and economic interests of the weaker sections of the people and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. During these 34 years they have done nothing, but you are shedding crocodile tears for these poor people, for these backward class people and for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Here I want to suggest one thing. The Government may accept or may not accept. The question is: you are not following the recruitment policy when appointments are made. The roster is not maintained and the reservation policy is not followed. There is dissatisfaction among the workers

[Shri Mukunda Mandal]

when there is promotion. Why is there this dissatisfaction? It is because at the time of appointment you are not following the reservation policy as also you are not maintaining the roster. That is why when some people are there, the Schtduled Castes and Scheduled Tribes people, at the time of promotion, they get preference and other people say that they are toppling them. That is the problem. That is everywhere. In Gujarat, South India and everywhere there is a dissatisfaction among the employees. To stop it I want to suggst that at least in the case of promotion, recruitment policy must be implemented according to the rules and at the same time in the case of promotion, according to merit promotion should be made at the same time maintaining the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. There must be special quota. If the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not get promoted through merit, for them special posts should be created so that the reservation is fulfilled regarding promotions. That will perhaps lessen the dissatisfaction among the employees.

Another point I want to make is: what is the position in the private sector.....

MR. CHAIRMAN: You please conclude.

SHRI MUKUNDA MANDAL: The total plan investment for the period 1980—85 is estimated at Rs. 1,58,710 crores. Of this Rs. 84.000 crores (53 per cent) is estimated to be in the public sector and the balance of 47 per cent is in the private sector. Apart from the public sector, the reservation policy should also be followed in the private scetor.

That is my point. I do not like to take much time of the House. My point is that in the public sectors they are trying to implement this. There is a tendency to avoid that here in the private sector. That is because there is no security for these peoeple. I want to request the Minister to see that the backward class people find a place in the society and they have the feelings that they are equal to others. Their interests could be safeguarded by Government.

Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri Girdhari Lal Vyas. Be very brief. Take five minutes only because there are so many others who want to speak on this.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, सेन्ट्रल सर्विसेज में जो रिजर्वेशन का प्रस्ताव माननीय यादव जी ने रखा है उसकी भावना अच्छी है, मगर आज जो विचारधारा देश में चल रही है कि रिजर्वेशन किस आधार पर होना चाहिये। जाति के आधार पर होना चाहिए या अन्य आधार पर, मुख्य मुद्दा यह है। इस प्रश्न पर सोचने की जरूरत है। हमारे सदन में कई दफा बात आई है, खासतौर से कम्युनिस्ट कहते रहे हैं कि 50 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिये? हमने शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबस के लिये रिजर्वेशन इस आधार पर किया क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इसलिये उनकी आर्थिक हालत सुधरे और दूसरे के बराबर आयें और वह लोग भी सोचें कि समाज में उनको जिस दृष्टि से देखा जाता था, घृणा और अस्पृश्यता की भावना से, वह चीज समाप्त हो। सब को बराबरी का अवसर मिले ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। मगर हमने वहां भी देखा कि उनमें भी कौन से लोग आते हैं? जिनकी आर्थिक हालत ठीक है, जिनके पास जमीन जायदाद है, उन्हीं के लड़के आई. ए. एस., आई. पी. एस. बन रहे हैं। उनमें जो गरीब लोग हैं उनको चांस नहीं मिलता है। इसलिए रिजर्वेशन से भी ज्यादा जरूरी

यह है कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की पूरी मुफ्त व्यवस्था की जाय, सारी सुविधायें उनको दी जायें ताकि वह भी ऊंची से ऊंची नौकरी में जा सकें। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। वरना पहले ब्राह्मण, राजपूत, बनियों को हटाया उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स में भी ब्राह्मण और राजपूत बन कर लोग बैठ गये और जिनके पास जमीन है उन्हीं के बच्चे रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि यादव जी इस प्रकार की व्यवस्था अपने प्रस्ताव में कर दें कि जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं चाहे किसी भी जाति के हों उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिये। ऐसे लोग चाहे किसी भी जाति में हों। मुसलमानों के बारे में अभी यादव जी ने कहा था कि उनमें इतनी ज्यादा पावर्टी है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। इस देश में बैकवर्ड क्लासेज से भी ज्यादा उनमें पावर्टी है। उनकी नौकरी में क्या परसेंटेज है? इसलिये इस बात पर ध्यान देना चाहिये। किसी जाति विशेष या बैकवर्ड क्लासेज पर ध्यान देंगे तो उन्हीं को प्रोत्साहन मिलेगा जो सरकार में होंगे जिस प्रकार से यू. पी., बिहार में हुआ कि जिसकी मैजारिटी हुई, चाहे जाटव हों, यादव हों या गूजर हों, वही सब पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिये पावर्टी लाइन के नीचे जितने लोग हैं उनके लिये 50 परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिये ताकि उनके बच्चे को प्रोत्साहन मिले और सब के समान आ सकें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। यही मेरा सुझाव है।

MR. CHAIRMAN: The Minister will take half-an-hour.

SHRI DHANIK LAL MANDAL (Jhanjharpur): What can I do?

SHRI R. P. YADAV (Madhepura): Sir, my name was there. I was the third. But unfortunately since I was not a favoured Member, I am being given this treatment.

MR. CHAIRMAN: No, no. I shall call you after Shri Mandal.

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य श्री आर. पी. यादव द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पीछे यह प्रश्न किया गया कि इस बिल की और इस कानून की क्या आवश्यकता है? मैं यह कहना चाहता हूं, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि संरक्षण की आवश्यकता है, किन्तु उसका आधार शैक्षणिक और सामाजिक न होकर आर्थिक होना चाहिये।

संविधान में यह उपलब्ध किया हुआ है, जिसको श्री चन्द्रजीत यादव ने पढ़ कर सुनाया है। आप धारा 340 देख लें, उसमें उपबन्ध है कि राष्ट्रपति जी समय-समय पर ओ. बी. सी., अदर बैकवर्ड क्लासेज की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त करेंगे और वह अपनी जांच कर के जो सिफारिश समझेगा करेगा। यह सारा प्रावधान उसमें है।

इसी तरह आर्टिकल 15, 16 है, उसमें उपबंधित है कि और व्यवस्थाओं के रहते हुए सरकार इनके लिए आरक्षण व्यवस्था कर पायेगी। उसमें जो शब्द दिये हुए हैं, वह शैक्षणिक और सामाजिक, एजूकेशनल और सोशल दिये हुए हैं। यह खास कर उपबंधित है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय जो अपने देश का संविधान बन रहा था और इन सारी बातों पर तजवीज हो रही थी, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने, कांस्टीट्यूशनल फादर्स ने सब चीजों को देखते हुए, इस देश को किस तरह से मजबूत बनाया जाये, सबल बनाया जाये, एक-रूपता दी जाये, एक किया जाये, इस देश में किस तरह समानता लायी जाये, कांस्टीट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनके अनुसार किस तरह का समाज वह रचना चाहते थे, यह सब उस प्रीएम्बल में दिया हुआ है। उसी तरह के समाज की रचना करने के लिये, किस तरह से उपबन्ध किया जाये, इसी को देखते हुए, एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए उसमें उपबन्ध है।

अब हमारे माननीय सदस्य यह नई चीज लाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि आरक्षण की तो आवश्यकता है, परन्तु उसका आधार आर्थिक होना चाहिये, सामाजिक और शैक्षणिक नहीं। हमारे यह माननीय सदस्य अकेले नहीं हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग, सैक्शन इस देश में है जो इस तरह की आवाज बराबर उठाकर,

[श्री धनिक लाल मंडल]

इस तरह के जब भी प्रयास हुए हैं, उसको ध्वंस करता रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काका कालेलकर साहब जैसे गांधीवादी विचारक के नेतृत्व में जब आयोग का गठन 1953 में हुआ तो उस कमीशन ने भी 1955 में अपनी अनुशंसा दे दी। उस समय भी यह वितंडावाद खड़ा कर के, इस तरह के सवाल खड़े करके, समस्याएं पैदा कर के जब रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। आज तक इस सदन में उस काका कालेलकर रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आज जो बी. पी. मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सवाल उठाया जा रहा है, वही सवाल काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद भी उठाया गया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने समाज में अपने देश में दो तरह की समस्याएं हैं। रोटी और सम्मान, इसको माननीय सदस्य न भूलें। इस देश में प्रश्न केवल रोटी का नहीं है, जब कि वह भी बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान का भी प्रश्न है। हमारे माननीय सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी से बिलांग नहीं करते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य या उनकी विचारधारा के जैसे लोग यह बातें कभी-कभी कहते हैं कि आर्थिक ढांचा ही सब चीजों को ठीक करता है। जो इकनामिक स्ट्रक्चर है, वह बेस स्ट्रक्चर है, बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर है। अगर आर्थिक आधार ठीक हो जाता है तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि वह कम्युनिस्ट नहीं हैं, उसी तरह से विचार करने वाले नहीं हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में भी री-थिंकिंग हो रही है।

जब मैंने कहा था क इन लोगों के सामने केवल रोटी की समस्या नहीं है, उनके सम्मान की भी समस्या है और रोटी के प्रश्न को हल करने के साथ साथ उनके सम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए, तो सी पी एम के लोगों ने, जो कम्यूनिस्ट आन्दोलन के अंग हैं, बड़ी मजबूती के साथ मेरी बात को ताईद की थी। समस्या केवल आर्थिक नहीं है, समस्या सम्मान और इज्जत की भी है। इन दोनों प्रश्नों को उलझा देने से काम नहीं चलेगा।

मैं मानता हूं कि आरक्षण से देश की गरीबी मिटने वाली नहीं है। मैं मानता हूं कि आरक्षण से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होने वाली है। मैं मानता हूं कि आरक्षण से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग उससे ऊपर नहीं आ जाएंगे। यह प्रश्न दूसरा है। दोनों प्रश्न को मिला देने से--आरक्षण के प्रश्न को और गरीबी के प्रश्न को मिला देने से--बहुत बड़ा नुकसान होगा। आरक्षण आर्थिक समस्या को हल करने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और इज्जत के लिए है--इस देश में जो सामाजिक नाबराबरी है, जिसका संपोषण हजारों सालों से होता रहा है, उसको मिटाने के लिए है।

आज यदि एक हरिजन दरोगा या मजिस्ट्रेट बन जाए, तो बड़ी जाति के लोग उसे पहले प्रणाम करेंगे। वे यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि वह पहले प्रणाम करेगा और हम उसे आशीर्वाद देंगे। यह कितना बड़ा फर्क है। क्या माननीय सदस्य ने उस पर सोचा है? जरूर सोचा होगा। यह उपबन्ध इस लिए किया गया है कि जो लोग हीन भावना से ग्रसित हैं, हजारों वर्षों तक भेद-भाव कर के जिनके मन में हीनता की ग्रन्थि उत्पन्न कर दी गई है, उन लोगों के मन से हीनता की भावना को हटा कर, आत्म-सम्मान का भाव पैदा कर के, दूसरे लोगों के समकक्ष लाया जाए। यह उपबन्ध आर्थिक बराबरी लाने के लिए नहीं किया गया है। इस लिए दोनों तर्कों को मिला देने से काम नहीं चलेगा।

इस कानून कीतात्कालिक आवश्यकता क्या है? जैसा कि श्री यादव ने कहा है, आज एक तरफ शासन है, जिसमें कुछ लोग एम एल ए, एम पी और मिनिस्टर हैं। दूसरे तरफ पर्मानेंट सिविल सार्विस है, जो कि प्रशासन है। इस देश में--और किसी भी देश में--पर्मानेंट सिविल सर्विस का जो वर्चस्व है, उससे हम सभी परिचित हैं। लेकिन उसमें इस वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या

यह सत्य नहीं है कि एक आदमी के जन्म से लेकर मरण तक जितने संस्कार होते हैं, वे उसकी जाति में होते हैं और इस लिए उसका जो संस्कार और मानस बनता है, वह उसके अंदर बनता है, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न बन जाए ? उसके मन में कहीं न कहीं जातीय कुंठा और पूर्वाभाव बना रहता है । यह सच है और दिन के समान सच है । यदि कोई आदमी इससे इन्कार करता है, तो वह ड्पोरसंख है, वह लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है ।

कुछ लोग कानशसली जातीय भावना से ऊपर उठ कर सब बातों को सोचते हैं, लेकिन ऐसे आदमी कितने होते हैं ?—— हजार में एक, लाख में एक हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई दूसरे हो सकते हैं । पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे जातीय भावना से ऊपर थे । लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कितने आदमी हो सकते हैं यह मैं जानना चाहता हूं । लिहाजा मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह दरोगा हो, चाहे इंसपेक्टर हो, चाहे मैजिस्ट्रेट हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई हो, यह जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है इस में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मन में कहीं न कहीं जातीय आग्रह रहता है, वे उस के ऊपर नहीं हो सकते है* । इसलिए, जो विकास का पूरा काम चल रहा है उसके अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आए, जो परिणाम आने चाहिएं थे वह क्यों नहीं आए, वह इसलिए नहीं आए कि जिन लोगों के हाथ में वह मशीनरी थी, वह ढांचा था उनके मन में पूर्वाग्रह था, यह बात सत्य है, दिन के समान सत्य है । इसलिए यदि आप चाहते हैं कि चाहे वह सामाजिक न्याय हो चाहे विकास का काम हो, यदि उसमें सभी के साथ समता का व्यवहार किया जाये । . . . (**व्यवधान**) . . .

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि इस देश में जो विकास के काम चल रहे हैं, जो सामाजिक न्याय देने के काम चल रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के काम चल रहे हैं उस का पूरा पूरा लाभ मिले तो यह तभी संभव है जब यह मशीनरी जो है उसमें भी इनके प्रतिनिधि लोग रहें । यह जरूरी है । इसलिए जो आर. पी. यादव जी का विधेयक है वह संगत है ।

मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा । सरकार को मंडल आयोग की रिपोर्ट आज इस सदन के टेबल पर रखनी थी । लेकिन सरकार ने वचन दे कर भी यह काम पूरा नहीं किया । ऐसा ही सरकार ने काका कालेलकर आयोग के साथ किया था । काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई, लेकिन उस पर इस सदन में चर्चा नहीं हो पाई और उसकी अनुसंश पर कोई विचार नही हुआ । ऐसा ही इस रिपोर्ट के संबंध में इस सरकार का इरादा है या नहीं, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं और एक बात की चेतावनी मंत्री जी को देना चाहता हूं । मंडल आयोग की जो अनुसंशा है, उसने जो प्रतिवेदन दिया है उसको जो मेमोरेंडम आफ एक्शन टेकेन के साथ सदन के टेबल पर रखना है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह अभी तक तैयार नहीं हो सका है इसलिए नहीं रखा जा सकता, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उस पर राजनैतिक फैसला लेना है । उस पर राजनैतिक रूप से फैसला लेने की जरूरत है क्यों कि मंडल आयोग ने अनुसंशा की है, जैसी मुझ को खबर है कि 25 प्रतिशत का आरक्षण इन लोगों के लिए होना चाहिए, तो यह सेक्रेटरी लोग यह नहीं करेंगे . . . . (**व्यवधान**) . . . . सेक्रेटरीज को यह फैसला नहीं लेना है । मंडल कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी मेमोरेंडम आफ एक्शन टेकन के साथ तो उस के लिद आपको, गृह मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को फैसला करना है, सेक्रेटरीज की स्क्रीनिंग कमेटी यह नहीं कर सकती है, वह यह फैसला नहीं ले सकती है कि 25 प्रतिशत का आरक्षण हो या नहीं हो । इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगले सेशन में आप इस के साथ साथ यहां आवें ।

MR. CHAIRMAN: Now Mr. D. P. Yadav. Only five minutes.

SHRI D. P. YADAV (Monghyr): I will take the minimum time.

MR. CHAIRMAN: Minimum time means what? I will ask the Minister to reply, at 5 o'clock.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): What about me?

MR. CHAIRMAN: Sorry.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I belong to a very responsible party. How can you shut me out?

श्री डी. पी. यादव : सभापति महोदय, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं जो बहुत उग्रवादी हैं या जो समूचे राष्ट्र के सारे ढांचे को एक बार में परिवर्तन कर देने की चुनौती देते हैं। मैं एक रचनात्मक कार्यकर्ता हूं और अनुभव करता हूं कि देश के सामने जो समस्याएं आई हैं उन को ठण्डे दिल और दिमाग से सोचना चाहिए।

जवाहर लाल जी के मन में और जो संविधान के उपर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे उन के मन में एक बात आई कि समाज में शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए। उन के मन में यह बात घर कर गई थी कि समाज में शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग और जातियां हैं। गिरधारी लाल व्यास जी ने कुछ शब्द कहे, मैं पंडित जवाहर लाल जी को कोट करता हूं जो उन्होंने 2 दिसम्बर, 1954 को कहा था, मकवाना जी उस को याद रखेंगे :

"We talk about casteism and we condemn it, as we should. But the fact remains that half a dozen or maybe ten so-called superior castes........"

जवाहर लाल जी ने कास्ट शब्द इस्तेमाल किया है।

"....dominate the Indian scene among the Hindus."

ये दस जातियां कब तक डामिनेट करती रहेंगी ? जवाहर लाल का सपना कब पूरा होगा, इस सदन को फैसला लेना है।

काका कालेलकर साहब का आयोग 1953 में बना, उस ने 1955 में रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? आज बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि आर्थिक आधार होना चाहिए या यह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो नौकरियां हैं—

"It is a seat where there is scope to distribute patronage.'

सरकारी नौकरियां स्कोप टू डिस्ट्रिब्यूट पैट्रोनेज हैं। इसलिए 52 प्रतिशत जो लोग हैं वह उपेक्षित हैं जिन को पैट्रोनेज डिस्ट्रिब्यूट करने का अवसर नहीं मिला है। उनके लिए काका कालेलकर ने क्या कहा ? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सूची में 126 जातियां दिखाई और कहा कि उन के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में 25 से लेकर 40 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए जायें।

दूसरी बात कही कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, डाक्टरी, कृषि और अन्य तकनीकी शिक्षा के लिए इन 126 जातियों के छात्रों के लिए भर्ती में 70 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए जायें। पढ़ाई करने के लिए स्कालरशिप की विशेष सुविधा प्रदान की जाये, सेवा आयोग में पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या बढ़े।

25 साल पहले ये मोटी मोटी रेकमेंडेशंस थीं जवाहर लाल जी के सपने को पूरा करने के लिए। वह सपना पूरा नहीं हुआ। यह हम सभी को एक चुनौती है। मैं इस पर और कोई तर्क नहीं पेश करना चाहता हूं। काका कालेलकर ने अनुभव किया और उन्होंने वह बात कही।

अब रह गई एक बात कि ये 52 प्रतिशत लोग हैं। इस के लिए कहा जाता है कि कहां से ये 52 प्रतिशत लोग आए। मैं आप के सामने यह सेन्सस आफ इंडिया 1931 की किताब प्रस्तुत कर रहा हूं। इस में जातियों की संख्या, जाति का नाम और कितने हैं यह दिया गया है और इसी को आधार मान कर काका कालेलकर ने कहा कि इस देश में पिछड़ों की संख्या—कौन पिछड़े—शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की संख्या 52 प्रतिशत है, इन को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं नाम नहीं पढ़ूंगा। इन 126 जातियों में ऐसे ऐसे नाम हैं जिन की संख्या 5 प्रतिशत होगी लेकिन सरकारी नौकरियों में एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट भी उस का नहीं हो पाया। क्या उस को एक

डिप्टी मैजिस्ट्रेट आप नहीं देना चाहते, दरोगा नहीं होने पाया और मैं बताऊं अब वाले लोग ही पैट्रोनेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आरक्षण का। चूंकि कुर्सियों पर बैठने वाले उत्तर प्रदेश में छविराम डकैत हैं, तो सिपाही की भी भर्ती होगी तो एस पी उसी को भर्ती करेगा जो उस की जाति बिरादरी के आस पास होगा या जाति बिरादरी का होगा। कलेक्टर होगा तो किरानी में उसी की बहाली होगी जो उस की जाति-बिरादरी का होगा या उस के आस पास समहृदयी होगा। आज यह मौलिक सवाल देश के सामने है। केवल आरक्षण का सवाल ही नहीं रह गया है। आज उत्तर प्रदेश में छविराम डकैत है, उसको आप शूट कर दीजिए लेकिन उसकी जाति के लोगों को क्यों घेर घेर कर मारा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के कुछ माननीय सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के लोगों ने कहा कि यादव जी वहां पर घेर-घेर कर पिछड़ी जाति के लोगों को, छविराम की जाति के लोगों को, मारा जाता है। मकवाना जी नोट करें कि बी. एस. एफ. से कहा जाता है कि गांवों को घेरो, छविराम को मारो, लेकिन पूरे गांव को आप क्यों मारेंगे। महिलाओं को क्यों बेइज्जत किया जाता है?

सवाल केवल आरक्षण का ही नहीं है, 52 प्रतिशत पिछड़े हुए लोगों के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेस में है, सामाजिक समता को डिस्ट्रीब्यूट करने में उसकी तरफ तवज्जह देनी होगी। आप कहते हैं कि यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है, जिसको मैंने शुरू से अंत तक पढ़ा है इसमें आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है--

In the 6th Plan, they have used the words like economically backward or most deprived section of the society, neglected society, backward class content......Why should you say, other backward classes?

इसमें आपने वर्ड यूज किया है—? बैकवर्ड क्लासेज कन्टेंट्स हैं शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स के अन्दर आरक्षण तो देना ही होगा। इसमें आपने 52 प्रतिशत लोगों का नाम क्यों जोड़ दिया है। ये जो माया जाल है, यह जो घड़ियाली आंसू हैं, कलमबाजी का तरीका है, धूर्तता और चालाकी है, इसके खिलाफ आज पूरे देश को सजग होना पड़ेगा। कलम चलाने वाले लोग आगे और कुदाल चलाने वाले लोग पीछे —अब यह नहीं चलेगा।

हमारे पाटिल जी बैठ कर हंस रहे थे। मैं पाटिल जी को इस बात के लिए कन्डेम करना चाहता हूं कि वे हंस रहे थे। पाटिल साहब डिफेन्स मिनिस्टर हैं लेकिन शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है कि 1962 में जब चुसूल गिरने वाला था तब पाटिल साहब चुसूल बचाने के लिए नहीं गए थे बल्कि कुमाऊं रेजिमेंट की अहीर कम्पनी के 123 जवान गए थे और वे सब के सब मारे गए थे परन्तु कुमाऊं को उन्होंने गिरने नहीं दिया था। यह है पिछड़े लोगों की देशभक्ति का उदाहरण लेकिन हमारे पाटिल साहब हंस रहे थे। किसी एक जाति के नाम से रेजिमेंन्ट हो ठीक है, राजपूत के नाम से रेजिमेंन्ट हो, ठीक है लेकिन फिर अन्य पिछड़ी दो, कानून बदल दो, कायदे बदल दो, सब हुई जातियों के नाम पर रेजिमेंन्ट क्यों न कोई रेजिमेंन्ट न रहे।

एक बात और कही गई कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाय। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखा जाय। मैं कहूंगा—अगर एक अस्पताल में तीन रोगी जांय, एक को एक बीमारी हो, दूसरे को दो बीमारियां हों और तीसरे को तीन बीमारियां हों, तो आप किस के ऊपर अधिक ध्यान देंगे? जिस को तीन बीमारियां होंगी उस को ज्यादा फैसिलिटीज देनी होंगी... (व्यवधान)...

लोहिया जी ने कहा है, मकवाना जी इस को सुन लें, "चाहे जितनी नीतियां बदल दो, कानून बदल दो, कायदे बदल दो, सब कुछ बदल दो, किन्तु उनको लागू करने वाले जब तक वही पुराने लोग रहेंगे तो सबका सब बेकार हो जायेगा।" 30-35 सालों में क्या हुआ है? मेरे पास भारत सरकार की सिविल लिस्ट है, यूनावर्सिटीज के प्रोफेसर्ज

[श्री डी. पी. यादव]

की लिस्ट है जिसे यू. जी. सी. ने बनाया है—इस में 52 प्रतिशत वाले लोग मुश्किल से 2 प्रतिशत ही होंगे। यह सिविल लिस्ट आई. ए. एस. की है, इस में 52 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत भी नहीं होगी।

अन्त में, मैं एक बात और कहूंगा—इस बिल के मूवर श्री आर. पी. यादव यहां पर नहीं हैं, शायद विदेश गये हुए हैं। मैं मकवाना जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को इसके लिए आश्वासन दें, क्योंकि इस सदन की यह परम्परा है कि आश्वासन दिये जाने पर बिल को विदड्रा कर लिया जाता है। जब सरकार हमको आश्वासन देगी तो यह समझा जाएगा कि बिल विदड्रा हुआ, लेकिन याद रखिए 52 प्रतिशत सोया हुआ शेर दूसरा रूप ले लेगा तो देश की स्थिति कुछ दूसरी भी हो सकती है। इस लिए प्रशासन में हिस्सेदारी की बात कर दीजिए। उनके तन की भूख नहीं मन की भूख मिटे इस ओर मकवाना जी का ध्यान होना चाहिए। इससे पहले भी इस प्रकार के बिल लोकसभा में आ चुके हैं। इसी प्रकार का बिल लोकसभा में रूपनाथ यादव जी भी लाए थे, इसलिए मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, मैं श्री यादव के बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, मैं आरक्षण का सिद्धान्त रूप में समर्थन करता हूं।

आरक्षण की बात उठ क्यों रही है, इस लिए उठ रही है कि हमारे देश के लाखों-करोड़ों लोग, नौजवान लोग सभी जातियों के और पिछड़े हरिजन-आदिवासियों के ऐसे हैं, जो बेकार हैं। अगर आपने बेकारी का सवाल हल कर दिया होता तो यह सवाल उठता ही नहीं। इसलिए आरक्षण के सिद्धान्त का जो लोग जाति का मुलम्मा चढ़ाकर विरोध करना चाहते हैं, उनकी समझ गलत है और देश की एकता को तोड़ने वाली है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार में जब श्री कर्पूरी ठाकुर जी मुख्य-मंत्री थे, तो वहां आरक्षण के सवाल को लेकर आन्दोलन चला था, उसमें विरोध भी करने वाले आन्दोलन कर रहे थे और समर्थक भी आन्दोलन कर रहे थे। उस आन्दोलन को जातीयता के ढांचे में ढालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो फार्मूला श्री कर्पूरी ठाकुर ने पेश किया था, वह क्या है? उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड में भी बैकवर्ड हैं, बहुत सारी जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, जिनका शायद ही कोई आदमी नौकरी में मिले, जिनका शायद ही कोई आदमी स्कूल और कालेज में मिले इसलिए वह 26 प्रतिशत के आधार पर चल रहे थे, क्योंकि 24 प्रतिशत आरक्षण हरिजन और आदिवासियों का था। 26 प्रतिशत में अनेक्सचर-I 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत अनेक्सचर--II तथा तीन प्रतिशत सभी प्रकार की महिलायें—बैकवर्ड की हों, उच्च-जाति की हों, नीची जाति की हों, पिछड़ी जाति की हों—और तीन प्रतिशत गरीब जो उच्च-जातियों में पैदा हुई, लेकिन गरीब है, इस प्रकार से कुल मिलाकर 26 प्रतिशत की गणना हुई थी।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

1'.03 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, कृपा कर मेरी बात सुनिए। उन्होंने जो फार्मूला पेश किया था, उस फार्मूला का कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था। सिर्फ उसमें जो एक बात की कमी थी, उसकी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ने ध्यान खींचा था। आज हमारे देश में अकलियत के लोग, यानी मुस्लिम, उनके साथ भेदभाव की नीति बरती जाती है। उन्हें भी इस आरक्षण के दायरे में लेना चाहिए। उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप दायरे में लेकर उनको ज्यादा नौकरी दें, अलग रखकर नौकरी दें, लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव की नीति को छोड़ना चाहिए। अगर इस आधार पर हम इस आरक्षण की नीति की क्रियान्विति करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई जातीयता की भावना नहीं फैलेगी। मैं सब ऊंची जाति के लोगों और अन्य लोगों से निवेदन करूंगा कि वे इसको इस

नुक्ते से देखें कि जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको स्थान दिया जाए । श्री कर्पूरी ठाकुर ने एक बात और कही थी कि जिन पिछड़ी जातियों के लोगों को हम आरक्षण देना चाहते हैं, उसमें उन्होंने आमदनी की सीमा लगाई थी । क्यों? इस लिये कि पिछड़ी जातियों में जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वे आरक्षण का फायदा न उठायें, बल्कि सही मायनों में जो ज्यादा गरीब हों, आर्थिक दृष्टि से सब से कमजोर हैं उन को यह मदद मिले । इस लिये उन्होंने 8 हजार रुपये की सीमा लगा दी थी कि जिस पिछड़ी जाति के परिवार की आठ हजार से ज्यादा आमदनी है उस को इस में नहीं लाना चाहिये । आप इस सीमा को आठ हजार रखिये, 12 हजार रखिये, लेकिन कोई सीमा बीच में जरूर लाइये, अन्यथा पिछड़ी जातियों के धनी लोग इस का फायदा उठा लेंगे और गरीब लोगों को इस का लाभ नहीं मिल सकेगा ।

अब जो हम चाहते हैं उस की कार्यान्विति का सवाल है । यह इम्प्लीमेन्ट होगा या नहीं? बिहार में एक सवाल उठा कि ये जो 26 प्रतिशत लोग हैं—उस में सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत तो सब के लिये खुला है, कोई भी जाति का आदमी कम्पीट कर सकता है, लेकिन बिहार सरकार कहने लगी कि अगर कोई टेलेन्टेड आदमी बैकवर्ड है, हरिजन है, आदिवासी है, जो आरक्षण हम ने दिया है, वह उस में आये । यह सिद्धान्त गलत है और गैर कानूनी है । जो टेलेन्टेड है वह आरक्षण में क्यों लिया जाय, वह जैनरल कोटा में जाय, आरक्षण के साथ उन को बांधना गलत होगा । इस लिये आप इस को कार्यान्वित कराइये । जो भी नियम आप बनायें उस में इस का प्रावधान होना चाहिये ।

इस के साथ ही मेरा यह निवेदन है कि जो मंडल कमेटी की रिपोर्ट है या काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट है, उस को कार्यान्वित किया जाय । आप ने मंडल कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक नहीं रखा । इस के लिये माफी मांगिये और फिर उस के बाद उस रिपोर्ट पर बहस की जाय ।

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान का संविधान बनाने वाले लोगों के सामने हिन्दुस्तान की जनता की समस्यायें थी । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस हाउस के अन्दर प्राइवेट मेम्बर के बिल के रूप में इस महत्वपूर्ण बिल पर विचार हो रहा है, परन्तु उस के लिये समय नहीं है । देश के 52 प्रतिशत लोगों की समस्याओं से सम्बन्धित यह बिल है—यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन 52 प्रतिशत लोगों को 34 साल की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान की नौकरियों में केवल एक प्रतिशत स्थान भी यह सरकार नहीं दिला पाई है जो समाजवाद के नाम पर चलती है ।

इस देश में ऊंची जातियों के लोग जिन में बनिये, ब्राह्मण, ठाकुर, पटेल, चैटर्जी, बैनर्जी, 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, लेकिन ये 20 प्रतिशत लोग हिन्दुस्तान की नौकरियों में 90 प्रतिशत स्थनों पर बैठे हुए हैं । हिन्दुस्तान में इस से बड़ा क्रान्ति का सूचक और कुछ नहीं हो सकता, इस अन्याय को अब सहन नहीं किया जा सकेगा । हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जो 20 प्रतिशत ऊंची कौमें हैं उन के लिये 80 प्रतिशत के बजाय सिर्फ 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जांय । हिन्दुस्तान के 52 प्रतिशत लोगों में जिन में 18 प्रतिशत हरिजन और दूसरे लोग हैं, 12 प्रतिशत माइनारिटी कम्युनिटीज के लोग हैं—उन को नौकरियों में तीन प्रतिशत स्थान भी नहीं मिले हैं—इस से बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है ।

जब हिन्दुस्तान में नक्सलाइट मूवमेन्ट चला था—आप की सरकार अगर उस वक्त पीकिंग रेडियो को सुनती होगी तो उसे मालूम होगा कि दुनिया में सब से अलग-कम्युनिस्ट कहलाने वाले लोग अपने रेडियो से यह कहा करते थे—हिन्दुस्तान के कामरेडों, यह कान खोल कर सुन लो, जब क्रान्ति के रास्ते पर बढ़ोगे तो हिन्दुस्तान में जो जाति-बिरादरी का समाज है उस को इगनोर मत करना, कास्टिज्म के सिस्टम को अपने दिमाग में रखना । कहीं ऐसा न हो कि क्रान्तिकारी लोग जाति-बिरादरी में पड़ कर क्रान्ति से डायवर्ट हो जांय । मैं आप

[श्री जगपाल सिंह]

को इशारा करना चाहूंगा कि ये 85 प्रतिशत लोग जो आज भी पिसे हुए हैं अब चैन से नहीं बैठेंगे ।

आप ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सदन में पेश करने का वायदा किया था, मैं जानना चाहता हूं कि आप ने उस को क्यों पेश नहीं किया । मैं आप को बता देना चाहता हूं—इस देश में अब यह आवाज उठेगी कि बनिये, ब्राह्मण, ठाकुर जो ऊंची जाति के लोग हैं उन के लिये रिजर्वेशन किया जाय । अब हम लोग आन्दोलन चलायेंगे कि ऊंची कौमों के लिये रिजर्वेशन करो, हिन्दुस्तान के बैकवर्ड के लिये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये । हिन्दुस्तान की ऊंची कौमों के लिये 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर के बाकी स्थान इन बैकवर्ड लोगों को दिये जांय ।

यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये ऊंची जाति के लोग एन्टी रिजर्वेशन मूवमेन्ट चलाते हैं—लेकिन जब हमारे लोग इन के रिजर्वेशन को ठोकर मार कर अगर मुसलमान बनना चाहते हैं तो ये मुसलमान भी नहीं बनने देना चाहते हैं । एक तरफ एन्टी रिजर्वेशन मूवमेन्ट चले और दूसरी तरफ इस तरह की बातें हों, जो मैं समझता हूं ठीक नहीं हैं । इन बातों के साथ मैं फिर से देश में खूनी क्रान्ति की तरफ इशारा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसको आप स्वीकार करें और मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उस की सिफारिशों को आप स्वीकार करें और वह रिपोर्ट यहां सदन के पटल पर रखें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I am thankful to the mover of the Bill, as well as to all the Members who have participated in the discussion on this Bill for drawing the attention of the house and the people of the country to the problems of the backward class people.

The time at my disposal is very limited.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How much time does he require?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Half an hour.

MR DEPUTY-SPEAKER: He can take half an hour. During the Private Members' Business there was some interruption and we lost about 18 to 20 minutes. He can take half an hour. After that, Shri Mool Chand Daga will move his Bill.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Before I discuss the points made by the hon. Member, I would like to say that almost all the Members, except two, have dealt with the subject and they have not brought politics into the discussion The two members who brought in politics are Shri Mukunda Mandal and Shri Dhanik Lal Mandal. Both these Mandals wanted to blame this Government. The first Mandal said that the West Bengal Government had done reservation, whereas this Government has not done it. I was happy to hear him. But when I referred to the papers, found that there is no reservation. So, I do not know from which source he got this information. The factual position is that there is no reservation in West Bengal.

Shri Dhanik Lal Mandal said that this Government has no intention to help the backward people. He said you have committed a breach of promise."

SHRI DHANIK LAL MANDAL: You have promised that the Commission Report would be laid on the Table of the House.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: When Shri Dhanik Lal Mandal was the Minister this Bill was brought forward by Shri Yadav. He rejected it.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I said that the Commission report will

be implemented. You are misleading the House.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am not misleading the House. I am giving the facts.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I said that the Mandal Commission Report would be implemented.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Even before the Commission report was presented, how could it be implemented at that time? When Shri Mandal was the Minister, the Commission was appointed, but the Commission did not submit the report. So, when he says that it will be implemented it, was for the future Government which is to come into power. That was the intention.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: It is by a fluke that you have come to power.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Coming to the subject, there are two opinions here. Even among the hon. Members there is differnce of opinion. While some took the view that it should be on an economic basis a majority of them felt that it should be on the social and educational basis.

When the Kaka Saheb Kalelkar Commission was appointed it also faced this difficulty. That Commission listed nearly 2,399 communities as backward and further suggested that women should be considered as backward class.

Now, the women population of the country is nearly 51 per cent. If you add this 51 per cent to the population of 2,399 communities, I think the percentage will go to 60 to 70 per cent. (*Interruptions*). Again, Kakasaheb Kalelkar, as the Chairman of the Commission while writing a letter to the Government has said that caste should not be the base. I would like to quote from his letter written to the Government.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: That was the majority opinion of the Commission. Why are you quoting this?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The time at my disposal is very short. Do not interrupt me.

Sir, I uote from that letter as follows:

> "I am denfinitely against reservation in Government Services for any community for the simple reason that the reservations are not meant for the servants, but they are meant for the service of the society as a whole. Administration must have the services of the best men available in the land and these may be found in all communities. Reservation of posts for certain backward communities would be as strange as reservation of patients are not meant to supply adequate or proportionate clientele to all the doctors, whatever their qualifications."

SHRI VIJAY KUMAR YADAV (Nalanda): Kakasaheb Kalelkar was not the Commission, he was the Chairman of the Commission. . .

(*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am coming to it, Mr. Yadav, you hear me. Why do you waste your time, Mr. Yadav? I just simply want to inform the House that there are different view points about the backward class. Kakasaheb was a very important man because he was the Chairman of the Commission. Therefore, this letter becomes very important because he was the Chairman and in the capacity of the Chairman of the Commission he has written this letter, not as an individual. Therefore, it becomes necessary to know what were his views. (*Interruptions*). This is about Kakasaheb Kalelkar Commission. I simply want to point out that there are differences of opinion regarding the criterion as to how this backward class should be identified. (*Interruptions*).

[Shri Yogendra Makwana]

Again, coming to the present Commission, the Mandal Commission, not Dhanik Lal Mandal, but the Mandal Commission who have submitted the report have listed more or less 3,258 communities as backward communities and according to the report it comes to 52 per cent and they have recommended at least 25 per cent reservation in the Services. The present reservation in the Services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other classes of people is like this. In Group A it is 22-1/2 per cent, in Group B it is 22-1/2 per cent, in Group C it is 35-1/2 per cent, in Group D it is 45-1/2 per cent. This is the present reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, physically handicapped and ex-Servicemen. Now, add this 25 per cent to it, then in Group D it comes to 70-1/2 per cent, in Group C it comes to 60-1/2 per cent, in Group B it comes to 47-1/2 per cent and in Group A it comes to 47-1/2 per cent.

Now, Sir, the Supreme Court of India and various High Courts also gave their judgment on this. In a judment they have said that the reservations should not increase more than 50 per cent.

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri): When was that judgment?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: If you like, I will quote.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: He is not aware of the Supreme Court's latest judgment.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Why should you become impatient? You please hear me and if there is any mistake, you point it out to me. It is subject to correction. I do not claim that I am perfect.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I shall show you.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: You may point that out later on. The Supreme Court has said that it should not increase more than 50 per cent.

MR. DEPUTY SPSAKER: Reservation should not be more than 50 per cent.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It should not increase more than 50 per cent in total.

However, there are certain observations of Fazl Ali J. made in the case of State of Kerala. There they say, it may. This is another view point.

Now this whole matter was referred to the Ministry of Law. At that time Shri Mandal was the Minister in Janata regime and Shri Shanti Bhushan was the Law Minister in 1979 he gave the opinion:

"I am afraid I am not in agreement with the observations of Fazl Ali J. made in the case of State of Kerala V. N. M. Thomas (1976 S.C. 490 at p. 555) expressing the view that reservation for backward classes under Art; 16(4) of the Constitution can even exceed 50 per cent of the posts The view has been expressed only by one of the judges of the Bench, even though he might have been one judge out of the majority of the judges to decide that case in a particular manner. These observations of Justice Fazl Ali cannot, therefore, be regarded as a declaration of law by the Supreme Court".

This is the opinion of Shri Shanti Bhushan, the then Law Minister in Janata Party Government. I do not say that this is the opinion of the Party. This is the opinion of an expert. Shri Shanti Bhushan has given the opinion in consultation with the officers in the Ministry of Law. This is a different view point.

Regarding the percentage of reservation—what should it be? If it exceeds 50 per cent, then it is subject.. (*Interruptions*).

Why do you unnessarily interrupt? Let me speak, otherwise you will not get a chance to speak.

So, if we take all these view points into consideration, more than 50 per cent is subject to challenge in the court of law. Anybody can go to the court of Law? It can be challenged. This is the legal position. It has become very difficult for the Central Government to introduce reservation for the backward classes.

However, most of the State Governments have introduced reservation for the backward classes except eight State Governments including the West Bengal Government.

Andhra Pradesh	—	25% reservation
Bihar	—	26%
Gujarat	—	10%
Haryana	—	10%
Himachal Pradsh	—	10%
Kerala	—	40%
Maharashtra	—	10%
Meghalaya	—	5%
Karnataka	—	5%
Nagaland	—	45%
Punjab	—	5%
Tamilnadu	—	5%
Uttar Pradesh	—	15%

These are the Eight State Governments....

SHRI K. RAMAMURTHY: Sorry for interruptions. In Tamilnadu it is more than 50 per cent. (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Please lend me your ear and hear me. I will clarify. (*Interruptions*) I am giving only the figures of reservation for backward classes. I have not included other figures.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is more than 68 per cent.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Mr. Mandal, you are a seasoned man. You must hear me patiently. Do not be impatient and do not shout.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I am not impatient.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: You are here as a Member of Parliament. You hear me. If there is any problem, you come to me and I will explain to you. I just gave only different view points. I have not concluded anything. I am only giving the factual aspects of it. There are view points of different persons and different institutions. Then, I gave the factual aspect of reservation of backward classes in different States. I have not said that this includes Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 31 per cent is only for backward Classes.

SHRI K. RAMAMURTHY: Excluding Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is 54 per cent.

MR. DEPUTY SPEAKER: What Mr. Ramamurthy says and as my information also goes, it is 52 per cent or 54 per cent for backward classes alone.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I go by the facts supplied by the State Governments.

MR. DEPUTY SPEAKER: The reservation for backward classes started only from Tamil Nadu.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I will be happy if they have increased it. In the case of Haryana, it was 2 per cent and now it is 10 per cent. In Gujarat, it was 5 per cent and now it is 10 per cent. In Tamil Nadu also, they might have increased it. But these are the figures supplied by State Governments. I rely upon them. I have no information except what I get from State Governments.

The point which I wanted to make is that different State Governments

[Shri Yogendra Makwana]

have given reservations except a very few State Governments. They also may be thinking of giving reservations because there is an opinion in favour of giving reservations for backward classes in their States. So, it is but natural that sooner or later the State Governments will extend reservations to backward communities.

I am personally not against reservations, nor the Central Government is against reservations for backward classes. But it is very difficult to pinpoint and identify backward communities. Looking from the reports of two Commissions, one headed by Kakasaheb Kalelkar and the other headed by Mr. Mandal, it is very difficult to identify backward communities. When the Mandal Commission Report is placed on the Table of the House, hon. Members will be able to read and know how it is difficult to identify backward communities because they have listed many communities and many criteria are given. They differ from State to State.

Then the Plan document says that there are more than 48 per cent of the people living below the poverty line. If we deducted 22-1/2 per cent reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes it comes to 25-1/2 per cent. So, at least 25-1/2 per cent are backward people according to the Plan document itself. So, there are backward people and they have got their problems. I have met many people and many representatives of different communities have come and met me for getting certain benefits. I know that they have their problems. But it is very difficult to identify them and, therefore, it is not possible for the Central Government to accept this Bill.

When Mr. Dhanik Lal Mandal was the Minister, he also requested the hon. Member who had moved the Bill to withdraw it....

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Again, he is misquoting me.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The same is the position with me.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I asked him to withdraw the Bill on the assurance that Mandal Commissions report will be implemented.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I also give an assurance that the Government of India has various schemes like IRDI, etc. under which direct benefits goes to the poor people. It goes to the backward people. (*Interruptions*) and the Government is keen to do something for the backward people. (*Interruptions*) Therefore, it is not possible for me to accept this Bill.

The other reason for not accepting the Bill is that the backward classes have not been defined in the Bill. This Bill does not give any definition of the backward classes. Instead of that in Clause 3 of the Bill, the mover has said:

> "The Central Government shall specify, from time to time by notification in the official gazette, the class or classes of citizens who have to be treated as backward classes for the purpose of the Act."

Now the mover of the Bill has not identified the backward communities and as I described here it is very very difficult for the Central Government also, to identify them in the absence of any criteria. There are reports given by two Commissions. One is already before the Members and the other we are going to place on the Table of the House. We will be able to know the identification made by the Mandal Commission and Government will certainly take action on the recommendations of Mandal Commission. With these words I would like

to request the Hon. Member to withdraw. Of course, that Member is not hert and it is already said by the Hon. Member Shri Yadav that the Bill may be withdrawn.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । देश में कोई स्टेट ऐसी नहीं है, जहां बैकवर्ड क्लासिज लिस्ट न बनी हो और बैकवर्ड क्लासिज को एजूकेशन में कनसेशन्ज न दिये जा रहे हों, चाहे रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो या नहीं । अगर सभी स्टेट्स में बैकवर्ड क्लासिज की लिस्ट्स बनी हुई हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब को बैकवर्ड मानने में क्या कतराती है ? वह "सोशली एंड एजूकेशनली बैकवर्ड के क्राइटेरियन को मान कर रिजर्वेशन को लागू क्यों नहीं करती है और इकानोमिक बेसिस की बात कर के डिसप्यूट्स क्यों पैदा करती है ?

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Mr. Yadav. Mr. Yadav is not there. I will put it to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill to provide for reservation of posts in Central Government Services for backward classes, be taken into consideration".

The motion was negatived.

17.33 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of section* 3, 6B, *etc.*)

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*: कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा कोटेशन आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं । पीटर जी रिचर्ड्ज ने अपनी किताब "आनरेबल मेम्बर्ज" में लिखा है :--

"Christopher Hollis, an ex-Member has described Parliamentary life as a ceaseless round of activity which necessitates the sacrifice of home life, recreations and cultural activities. He suggests that few Members have time to read many books after their election to Parliament".

अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में, जो कि दुनिया का सब से बड़ा लोकतंत्र है, योग्य, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति संसद के सदस्य बनें, तो हमें एक काम करना होगा ।

MR. DEPUTY SPEAKER: You can continue next time. Now we go to Half-an-Hour Discussion on growth of Universities and Colleges.

Shri Arakal.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: What about my Privilege Motion?

MR. DEPUTY SPEAKER: No, no. Nothing.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: Why not?

MR. DEPUTY SPEAKER: We are now taking up Half-an-Hour Discussion.. Your name is not here.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: Today is the last day. We are adjourning today.

MR. DEPUTY SPEAKER: Don't disturb. I already told you.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: The question of privilege is there because they have not put up the Backward Classes Commission Report before the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already told you. We are now taking up Half-an-Hour Discussion.

---

*Moved with the recommendation of the President.